दि0. 5.6.2024

पत्रावली पेश हुई। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेज व तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर गहनता से मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा वेरावीलपुर पटवार हल्का पालडीएम भू0 अभिलेख निरीक्षक पालडीएम में स्थित खसरा नं0 65/29 कुल रकबा 15 बीघा भूमि स्थित है प्रार्थना पत्र के पद सं0 4 में प्रार्थी द्वारा वर्णन किया है कि खसरा नं0 29 में से 11–17 बीघा किस्म कंकरीली आज भी अप्रार्थी राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है। जिसके वर्तमान खसरा नं0 152/29 है। व प्रार्थना पत्र के पद सं0 5 में वर्णन किया गया है कि पद सं0 2 में वर्णित आराजी में आने जाने हेतु पुराना रास्ता गांव वेरावीलपुर से होते हुए खसरा नं0 29/1 में से आया हुआ हैं। और रास्ते की चौडाई करीब 20–25 फीट की है। उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग प्रार्थी व आसपास के खातेदार निरन्तर व निर्बाध रूप से करते आ रहे है। उक्त रास्ते के एक तरफ कांटों की बाड व दूसरी तरफ जोधपुरी पत्थर की छीन की पटटिया लगाकर तारबंदी की गई है। जो खातेदारों व प्रार्थी के द्वारा करवाई गई है। जिसकी तरमीम प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड में करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है **जबकि राज0 भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि "कोई भी खातेदार राजस्व रेकर्ड में हुई लिपिकीय त्रुटियों जैसे नाम शुद्ध करवाना, वल्दियत शुद्ध करवाना रकबे में कमी बैशी करने संबंधी अशुद्धियों को सुधरवा सकता है।"** उक्त प्रकरण में राजस्व रेकर्ड में इस प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं हुई है। राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अनुसार सभी कदीमी रास्तों का रेकार्ड में दर्ज होना आवश्यक नहीं है। खेतों के जाने पर ऐसे सेकडों और हजारों रास्ते विद्यमान है जिनका रिकॉर्ड में अंकन नहीं है। यदि काश्तकार कदीम से अपने खेत पर किसी रास्ते का उपयोग करता आ रहा है तो धारा 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत उसे कायद रखवाये जाने का पूरा अधिकार है। साथ ही प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये रास्ते की आवश्यकता हो तो वो राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत सक्षम न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रास्ते की मांग कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)